

# अंत्योदय सरल



# पशुपालन और डेयरी

# हाई टेक डेयरी इकाईयों की स्थापना के लिए योजना

### योग्यताः

- 1. आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष और वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- 2. आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
- कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
- 4. आवेदक के पास दुधारू पशुओं को रखने के लिए जगह / शैड होनी चाहिए।
- 5. किसी भी समूह / फर्म / संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख है।
- 6. इस योजना के तहत आवेदक को बेरोजगार होने और अन्य शर्तो का पालन करने के लिए स्वयं घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7. आवेदक के पास 20 और 50 पशुओं की डेयरी यूनिट के लिए हरा चारा उगाने के लिए खुद की मलकियत या लम्बे समय के लिए ठेके पर ली गई क्रमशः 2 एकड़ और 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए।

## मिलने वाला लाभः

- 1. योजना के तहत ब्याज सब्वेंशन हेतु वित्तीय सहायताः
  - 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाईयाँ: दुधारू पशुओं की कुल कीमत की 75% लागत पर ब्याज की आर्थिक सहायता, जो कि लाभार्थी द्वारा 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद हेतु लोन के रूप में लिया गया है।
  - 4 तथा 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाईयाँ: दुधारू पशुओं की कुल कीमत की 25% सब्सिडी, जो कि लाभार्थी द्वारा 4 तथा 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई की स्थापना के लिए पशुओं की खरीद हेतु लोन के रूप में लिया गया है।

## योजना के तहत बीमा हेतु वित्तीय सहायताः

बीमा सहायता वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित विभागीय स्कीम की उपलब्धता के अनुसार प्रदान की जाएगी, अन्यथा पशुओं का बीमा लाभार्थी को स्वयं करवाना पड़ेगा एवं प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।

#### आवश्यक दस्तावेजः

- 1. परिवार पहचान पत्र (PPP ID) (अनिवार्य)
- 2. पैनकार्ड (अनिवार्य)
- 3. बैंक पास बुक अथवा रद्द किया हुआ चैक अपलोड करें (अनिवार्य)

#### सेवा शुल्कः

सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई शुल्क नहीं	10/- रूपये	10/- रूपये

**आरटीएस समय सीमाः** आवेदन ३० कार्य दिवस में संबंधित सेवा क्षेत्र बैंक को भिजवा दिया जाएगा।

हेल्पलाइन: 0172-3968400